# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 239 सन 2021

अनवान :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. विनोद कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी ।
3. मोहनलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08/07/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 72/77 की कुल 5.7890हैक में से 2.795हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 71/75 की कुल 3.0980हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल पुत्र रावतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो सहवन से विरास्तन से उसके पुत्र उदमीराम के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई जबकि श्योलाल पुत्र रावतराम के तीनों पुत्रों उदमीराम , साहबराम, महावीर प्रसाद के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का परिवार के मुख्य/ मौजिज व्यक्तियों के मध्य आपसी सहमति से वाद भूमि के सम्बध में परिवारिक समझौता हुआ तथा परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण के हकों का हनन होता है इसलिये वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में से वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे । वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वर्तमान मे वाद भूमि उनके नाम से दर्ज है जो विरास्तन से दर्ज हुई है किन्तु सहवन से वाद भूमि समस्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गई वाद भूमि में वादीगण का भी 1/3 –1/3 हिस्सा भूमि है जो सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो गई वादीगण के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 72/77 की कुल 5.7890हैक में से 2.795हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 71/75 की कुल 3.0980हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल पुत्र रावतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो सहवन से विरास्तन से उसके पुत्र उदमीराम के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई जबकि श्योलाल पुत्र रावतराम के तीनों पुत्रों उदमीराम , साहबराम, महावीर प्रसाद के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का परिवार के मुख्य/ मौजिज व्यक्तियों के मध्य आपसी सहमति से वाद भूमि के सम्बध में परिवारिक समझौता हुआ तथा परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 72/77 की कुल 5.7890हैक में से 2.795हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 71/75 की कुल 3.0980हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि श्योलाल पुत्र रावतराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल पुत्र रावतराम के नाम से दर्ज थी

वादी के दादा श्योलाल पुत्र रावतराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता उदमीराम के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो गई है।

श्योलाल पुत्र रावतराम के नाम से दर्ज भूमि उनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों के नाम बहिब दर्ज होनी चाहिये थी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं वादीगण के नाम बहिब दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सहवन से दर्ज हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
नोट

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम सहवन से दर्ज हुई है जिसमें वादीगण का 1/3– 1/3 का हक हिस्सा है परिवारिक समझौता के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने कथनो के समर्थन में इकबाल जबाब पेश किया जाकर वादीगण के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से दर्ज करना स्वीकार किया गया है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 में से वादीगण के हक हिस्सा के भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना स्वीकार किया गया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 72/77 की कुल 8.7890हैक भूमि में से 2.795हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम यथावत रहेगी तथा रायसिहपुरा के खाता संख्या 71/75 की कुल 3.0980हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 के नाम बहिब दर्ज की जावे तथा 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील नोहर।

वादीगण

**बनाम**

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. विनोद कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी ।
3. मोहनलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 239 सन 2021 निर्णय दिनांक–** 08/07/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 72/77 की कुल 8.7890हैक भूमि में से 2.795हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम यथावत रहेगी तथा रायसिहपुरा के खाता संख्या 71/75 की कुल 3.0980हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 के नाम बहिब दर्ज की जावे तथा 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर